भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2183

गुरूवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक)

युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी

2183. श्री जावेद अली खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून 2026 में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोज़गारी 16.2 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो वर्तमान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण श्रृंखला में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयु वर्ग में युवाओं की बेरोज़गारी मई में 15.9 प्रतिशत और जून 2025 में 15.3 प्रतिशत रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड) युवाओं में बेरोजगारी के चिंताजनक और अभूतपूर्व स्तर से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था। इसके प्रमुख संशोधनों में से एक, मासिक रोजगार और बेरोजगारी अनुमानों की शुरूआत है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 10.9% से घटकर वर्ष 2025 में 9.9% हो गई है। पीएलएफएस रिपोर्ट में माहवार, वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

युवाओं के लिए नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (युवाओं सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों का औपचारिकीकरण, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जो देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं तथा जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को भी कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
